

संस्थान
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - ब.शिक्ष. संवे.सं.सम्बद्ध/2018/988

लखनऊ दिनांक 13-5-2018

-कार्यालय ड्राफ्ट-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु जिलास्तरीय स्तरों की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निदेशात्मक संघट्टिकरण एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-2 में पूर्व से सम्बद्ध जिलोना इन इन्फो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -


“ संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2018-19 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	282	गहनगरी नौवमपुरा पॉलीटेक्निक इनफोटी सुर, अहमगरी, लखनौ, भारतपुर	लोकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	120 120 50 80	120 120 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाची 1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यक्रम सहित) हेतु रु०- 30,000.00/- वार्षिक ए० एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 21,500.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर एतादत द्वारा निर्णय किया जाने वाले शासनोदेश प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2018-2019 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता विनियमवाची-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। नीचे के विवरण से जाने की विधियों में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय केंद्रगतवत्त के अनुसार निरीक्षण के लिए शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से अनुमोदित हेतु अनुसूचित प्रकरण


प्रधानाचार्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद
बनशी सुर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को संस्था के सदस्यों द्वारा प्रतिक्रिया देकर संस्था को
 निर्णय लेना होगा। संस्था के सदस्यों को संस्था के विकास में सक्रिय भागीदारी देनी होगी।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचनाएं, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए रीति-रिवाज को संबन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था वह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-सम्बन्ध, कर्मियोंवर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इनकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो प्रस्तावित संस्था को सम्बद्धता सम्पादन किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)
 सचिव

पृष्ठसं०- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता / 2018 / 889-1518

तद् दिनांक 15-5-2018

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, महात्मानंद गौतमबुद्ध मालीदेविमठ, बनकटी खुर्द, अहमोली, छत्तार
 गोरखपुर।



प्रधानाचार्य
महात्मानंद गौतम बुद्ध मालीदेविमठ
बनकटी खुर्द, अहमोली
गोरखपुर

(सजीव कुमार सिंह)
 सचिव



प्रधानाचार्य
महात्मानंद गौतम बुद्ध मालीदेविमठ
बनकटी खुर्द, अहमोली
गोरखपुर

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश अखनक।**

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

अखनक दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय आदेश-

प्रकृत मूलोप राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ कर्नाटी छात्रावास अंतर्गत प्रकृत नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तृतीय शिबिर संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद (अखनक) से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद अखनक तथा अध्यक्ष जी अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सक्षिप्त बना तथा पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के क्रम-2 में निर्दिष्टा एवं इसी परामर्श उपस्थित करने वाली पुर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यथा विचार-विमर्श पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -


"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इजींग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, अखनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एओआईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एओआईसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनको नाम के सम्मुख जोकि पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एओआईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखनक सम्बद्धता समिति को बैठक में लिए गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अखनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित गतों के तहत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश-समता प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	6405 महापानथ पार्लोकिना बनारसी, बुध, बनारसी, गोरखपुर।	पौलकपुरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेकैनिक्कल इंजीनियरिंग	120 60 60 120	120 60 60 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या: एओआईसीटीआई/ एओआईसीटीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था प्रमुख प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अखनक तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनिश्चयवली 982 सेमेस्टर विनियमानुसार-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (वीनू नवीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु ₹50,00,00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए) एवं (एओआईसीटीआई पाठ्यक्रम हेतु ₹20,00,00,00/- प्रतिवर्ष एक वर्ष तथा दो वर्षों के लिए) (दो वर्षों के लिए) (एओआईसीटीआई पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹20,00,00,00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राय/प्रायों में शुल्क में सम्बन्ध में सम्बन्ध-समय में जाहज़ाम द्वारा निर्णय किये जाने वाले कारणादेश प्रभावी होंगे और सदस्यगत कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीनू निर्धारण समिति द्वारा लिये गए सत्र 2020-21 हेतु वीनू का पुनर्निर्धारण किया जाता है जो वीनू की सर्वोत्तम रहे जाना होगा।


प्रधानाचार्य
महापानथ गौरीम बुद्ध पाटीटीयमक
बनारसी बुध, बनारसी
गोरखपुर

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा संस्थित) जहाँ का सनितिया संबंधी भी सम्बद्ध किया जाते। विनियमावली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित सीटों को भी प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की रिक्ति यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आगवही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुन्धः काम करनी होगी।
- ✓ संस्था को ए0आर0के0सी0टी0आई0 / पी0सी0आई0 से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए विधि / विधायी / अधिनियमों / शासनदेशों / निर्देशों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शिरी बांधे होगी।
- ✓ विषयोंमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संघट्ट यदि पी0सी0आई0 तर्ह दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अयाकस रहनी है तो इल त्राय में समस्त अंतरराष्ट्रिक संस्था का डोगा और विधिक रूप से किसी भी कायगारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बरद बाधन किया जाता है तथा बाधन बरद को संस्था में को क्यापालन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिगुर्ती रखनी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिगुर्ती समधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विषयोंमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संघाली को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित प्रवेश परीक्षा हेतु प्राउन्सिलिंग प्रारम होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त होने पर परिषद कार्यालय को उपशास्य करनी होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आशाण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की उत्तरदायित्व जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रुतिगुर्ती स्टाफ, साध-सगजा उपशासण, प्रथा शिक्षा जाने वाला सुत्क, फेलाबस सुत्क आदि का विवरण उपलब्ध कराने होगा।
- ✓ संस्था का शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपयुक्त असाधारण उपलब्ध कार्गो के साथ किराए संघाली को सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कावन्शी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रतागित / संघालित पाठ्यक्रम को चलाने जात हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कावन्शी जैसे जर्मिनैड सुनि-मन्त्र, इन्सुलर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी अनुमति होती है कि संस्था-उपशासक का प्रयोग किसी अन्य कार्गो के लिए नर रहती है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाते की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधनानुसार अनुशासनात्मक कार्गो की आयेगी।

(सि) आर0के0 सिंह
सचिव

पृ0सं0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-श्यामाबाई/निदेशक, महासचिव शीतमनुषा पालीटेक्निक, मनकटी बुर्द, अहोलीली, खजनी, गोरखपुर।


प्रधानाचार्य

महासचिव शीतम बुर्द पालीटेक्निक
मनकटी बुर्द, खजनी
गोरखपुर

(सि) आर0के0 सिंह
सचिव

